खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र (नियम–55)

मैसर्स जे0वी0के0 डवलपर्स प्रा0लि0 पता–सी0–21 व 22 सेक्टर–16 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर ने उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम–52 के अधीन प्लाट नं0–एच0आर0ए0–10, सैक्टर–सूरजपुर साईट–सी0 (एक्स0) ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में साधारण मिट्टी का खनन करने के लिए अनुज्ञा–पत्र हेतु निर्धारित प्रार्थना–पत्र दिया है, और 2000/–रू0 (दो हजार) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा किया है तथा आवेदक द्वारा 22000 घनमी0 सा0 मिट्टी 9/–रू0 प्रति घनमीटर की दर से 1,98,000/–अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया है। एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 01/09/....2012 द्वारा आज से 03 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

भूमि का ब्यौरे

क्रम सं0	तहसील	प्लाट संख्या	बेसमेन्ट एरिया का विवरण
	दादरी	प्लाट नं0–एच0आर0ए0–10, सैक्टर–सूरजपुर साईट–सी0 (एक्स0) ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर	उक्त प्लाट के 4000 वर्गमीटर भाग में खनन किया जाना है, जिसकी की कुल गहराई 5.5 मीटर है।

स्थान: गौतमबुद्धनगर

दिनांक 05/9/2012 से 04/12/2012 तक

शर्तें

1. अनुज्ञापत्र धारक राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे का उसके उत्पन्न होते ही स्वयं भुगतान निश्चित करेगा।
2. अनुज्ञापत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
3. अनुज्ञापत्रधारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को इस लेखा का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी/खनन कार्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र एमएम–11 पर ही किया जायेगा।
5. अन्य शर्तें उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के अनुसार मान्य होंगी।
6. अनुज्ञा पत्र में दी गयी मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी तक मान्य होगी।
7. प्रत्येक 15 दिन में खनन की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. एमएम–11 की बुकों को प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिपर्ण एवं अवशेष एमएम–11 कार्यालय में जमा करायेंगे।
9. खनन कार्य इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू–भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुंचे और यदि क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
10. यदि स्वीकृत खनन के अतिरिक्त, अन्य उपखनिज पाया जाता है तो इसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय में तत्काल देनी होगी और अन्य उपखनिज कि रायल्टी का निर्धारण होने एवं उसे जमा कराने के उपरान्त ही खनन कार्य किया जायेगा।
11. यदि अनुज्ञापत्रधारक दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उलंघन करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

प्रभारी अधिकारी (खनिज)
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 618(2)/खनन लिपिक/12 दिनांक 5/9/2012

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
2. वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
3. उप जिलाधिकारी दादरी जिला गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित है कि स्थल निरीक्षण कर कि खनन कार्य अनुज्ञा पत्र में दी गयी शर्तों के अनुरूप हो रहा है अथवा नही के संबंध में आख्या दें।
4. खान निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत के दौरान स्थल निरीक्षण कर आख्या दें।
5. थानाध्यक्ष, थाना गौतमबुद्धनगर।
6. मैसर्स जे0वी0के0 डवलपर्स प्रा0लि0 पता–सी0–21 व 22 सैक्टर–16 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा प्लाट नं0–एच0आर0ए0–10, सैक्टर–सूरजपुर साईट–सी0 (एक्स0) ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।

5/9/12

प्रभारी अधिकारी (खनिज)
गौतमबुद्धनगर।

अनुज्ञापत्र

मै0 जे0बी0के डेवलपर्स प्रा0लि0, पता–बी–21,22 सेक्टर–18 नोएडा द्वारा प्लाट सं0–एच0आर0ए0–10
साईट–सी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर, क्षेत्र में उपखनिज की निकासी के लिए अनुमति–पत्र देने के
निमित्त प्रार्थना–पत्र दिया है। आवेदक द्वारा 4000 वर्गमीटर क्षेत्र में 5.00 मीटर गहराई तक 20,000 घनमीटर साधारण मिट्टी
का खनन किया जायेगा, जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रू0 14/ प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी अंकन
रू0–2,80,000/–कुल धनराशि रू0 2,80,000/– का भुगतान कर दिया गया है। एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित
जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 27.08.2013 द्वारा आज से 03 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों
के अधीन रहते हुये उपखनिज हटाने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का ब्यौरे

क्रम सं0	तहसील	प्लाट संख्या	बेसमेन्ट एरिया का विवरण
1	दादरी	प्लाट सं0–एच0आर0ए0–10 साईट–सी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर	उक्त प्लाट का बेसमेन्ट एरिया 4000 वर्गमीटर है जिसकी की कुल गहराई 5.00 मीटर है।

स्थान: गौतमबुद्धनगर

दिनांक 31/08/2013 से 30/11/2013 तक

शर्तें

1. अनुमति धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे का
उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2 अनुमति धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक
भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
3 अनुमति धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को एवं चेकिंग
का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4 उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी (खनन कार्यालय) द्वारा निर्गत प्रपत्र एम0एम–11 पर ही किया जायेगा।
5 अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में प्राप्त होगी, तक ही मान्य होगी।
6 प्रत्येक 15 दिन में उपखनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7 एम0एम–11 की बुकों को प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिपर्ण एवं अवशेष एम0एम–11 कार्यालय में जमा
करायेंगे तथा खनन स्थल से निकलने वाले वाहन खनिज को तिरपाल से ढककर ही वाहन के अन्दर परिवहन
करें।
8 बेसमेन्ट निर्माण के दौरान निकले उपखनिज की निकासी का कार्य सुरक्षात्मक उपाय बैरिकेटिंग आदि लगाकर इस
प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू–भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुंचे और यदि क्षति
होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
9 यदि उपखनिज की निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी
होगी व अन्य उपखनिज की रायल्टी का आकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में
देना होगा।
10 यदि अनुमति पत्र में दी गई शर्तो के अनुरूप कार्य न करके, शर्तो का उल्लंघन करता है तो अनुमति पत्र निरस्त
कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
11 यदि अनुज्ञापत्रधारक दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त
कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
12 यदि भवन परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना स्थल से किये गये उपखनिज का प्रयोग परियोजना में अथवा
परियोजना स्थल से किये गये उपखनिज का प्रयोग परियोजना में अथवा परियोजना स्थल के बाहर किसी कार्य
हेतु किया जाता है तो पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या 2557/पर्या0/एस0ई0ए0सी0/साधारण मिट्टी
खनन/2012 में दिये गये बिन्दु संख्या–5 में दिये गये Safeguards को अपनाया जाना होगा।

खान निरीक्षक
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 1508/खनन लिपिक/2013 दिनांक 31/08/13

प्रतिलिपि:

1 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन लखनऊ।
2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
3 उप जिलाधिकारी दादरी जिला गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4 खान निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत के दौरान स्थल निरीक्षण कर
अवगत करायें।
5 थानाध्यक्ष, थाना, गौतमबुद्धनगर।
6 मै0 जे0बी0के डेवेलपर्स प्रा0लि0 पता–बी–21,22 सेक्टर–18 नोएडा द्वारा प्लाट सं0–एच0आर0ए0–10 साईट–सी

मैसर्स जे0पी0के0 डवलपर्स प्रा0लि0 प्लाट-बी0 [illegible] व 22 [illegible] सेक्टर [illegible] नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर [illegible] उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम [illegible] के अधीन प्लाट सं0-एन0आर0ए0-10, सेक्टर-सूरजपुर साईट-सी0 (एक्स0) ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में [illegible] साधारण मिट्टी का खनन करने के लिये अनुज्ञा पत्र देने [illegible] दिया है और [illegible] 9/ [illegible] सूरजपुर [illegible] के अनुसार [illegible] 8250 घनमीटर [illegible] उल्लिखित [illegible] गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक [illegible] 2012 [illegible] द्वारा नीचे निम्नलिखित शर्तों के अधीन [illegible] की अनुमति दी जाती है [illegible] 01 माह की अवधि के भीतर

क्रम सं0	तहसील	भूमि का ब्यौरा — प्लाट संख्या	[illegible] का विवरण
[illegible]	दादरी [illegible]	प्लाट सं0-एन0आर0ए0-10, सेक्टर-सूरजपुर साईट-सी0 (एक्स0) ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर	उक्त प्लाट का एरिया [illegible] वर्गमीटर है जिसकी [illegible] गहराई 6.5 मीटर है।

[illegible] गौतमबुद्धनगर।
दिनांक [illegible]/ [illegible]/2012 से 19/ [illegible]/2012 तक

शर्तें

1. [illegible] अनुज्ञाधारक [illegible] सरकार [illegible] किसी [illegible] की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और [illegible] प्रकार के दावे को [illegible]
2. [illegible] अनुज्ञाधारक [illegible] रीति से [illegible] सार्वजनिक सम्पत्ति [illegible] कोई बाधा [illegible] क्षति न पहुंचे।
3. [illegible] अनुज्ञापत्रधारक [illegible] संग्रह किये गये सभी [illegible] लेखा रखेगा और [illegible] प्रतिनियुक्त अधिकारी को [illegible] का [illegible]
4. [illegible] परिवहन [illegible] जिलाधिकारी [illegible] कार्यालय [illegible] प्रपत्र [illegible]
5. [illegible] उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के [illegible] प्रपत्र [illegible] 11 पर [illegible] किया जायेगा।
6. [illegible] होगी।
7. [illegible] किया जायेगा।
8. [illegible]
9. [illegible] कार्यालय में जमा [illegible]
10. [illegible] जिलाधिकारी कार्यालय में [illegible]
11. यदि [illegible] अनुज्ञापत्रधारक [illegible] शर्तों का [illegible] रायल्टी [illegible] जायेगा।

प्रभारी अधिकारी, खनिज
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
पत्रांक [illegible] 01 [illegible] खनन लिपिक/ 09 [illegible] दिनांक [illegible]
प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 [illegible] लखनऊ।
2. जिलाधिकारी/ आशुलिपिक गौतमबुद्धनगर।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
4. उप जिलाधिकारी [illegible] जिला गौतमबुद्धनगर [illegible] अनुज्ञा पत्र में [illegible] शर्तों के अनुरूप [illegible] खनन [illegible] खान निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित [illegible] स्वीकृत [illegible] आख्या दें।
5. [illegible] थाना, [illegible] गौतमबुद्धनगर।
6. मैसर्स जे0पी0के0 डवलपर्स प्रा0लि0 प्लाट-बी0-21 व 22, सेक्टर-16 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर [illegible] प्लाट सं0-एन0आर0ए0-10 सेक्टर-सूरजपुर साईट-सी0 (एक्स0) ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।

प्रभारी अधिकारी, खनिज
गौतमबुद्धनगर।